

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं० 664 13-14

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक ..... को ग्राम एलका मचहरी में आयोजित कैम्प में  
श्री श्री श्री रेवती देवी प्लॉट नं० 570 प्लॉट नं० 460  
बल्द .....  
ग्राम मौजलपुरा, सुई किराया खालीपत्ता जिला पटना  
चरखा नं० 3984 दिनांक 18/09/06 के द्वारा निम्नांकित जमीन का  
दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

| मौजा           | थाना नं०  | खाता नं०   | प्लॉट नं०  | रकबा         | लगान        |
|----------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| <u>शनीपुरा</u> | <u>19</u> | <u>460</u> | <u>570</u> | <u>10.97</u> | <u>0.50</u> |

04/10/06/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशांसा किए हैं। कैम्प में उपस्थित न्यायिकों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशांसा के आधार पर दाखिल खारिज ..... किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति ms  
अंचलाधिकारी, पटना सदर

ms  
अंचलाधिकारी, पटना सदर